विधानसभा सचिवालय
मध्यप्रदेश
समाचार

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा शर्तों संबंधी नियमों के पुनरीक्षण के लिये विशिष्ट समिति गठित

भोपाल : 24 नवम्बर, 2009

विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियमों के पुनरीक्षण के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष श्री ईश्वरदास रोहाणी द्वारा विधानसभा सदस्यों की विशिष्ट समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सभापति नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुनादेवी होंगी। इस समिति के पदेन सचिव विधानसभा के प्रमुख सचिव डॉ. ए.के. पयासी होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बनाई गई इस विशिष्ट समिति में कुल 9 सदस्य होंगे। इसमें वित्त मंत्री श्री राघवजी, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधायक सर्वश्री कैदारनाथ शुक्ला, लक्ष्मण तिवारी, रामलखन सिंह, अलखेश आर्य, श्रीमती नीता पटैरिया तथा शरद जैन होंगे।

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय सेवा अधिनियम 1981 सहपठित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1990 के अनुसार सचिवालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियमों के पुनरीक्षण करने तथा आनुषांगिक विषयों का परीक्षण करने के उद्देश्य से विशिष्ट समिति का गठन किया गया है। समिति अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करेगी और ऐसी जानकारी तथा साक्ष्य प्राप्त करेगी जो वह आवश्यक समझे। विधानसभा सचिवालय ऐसी सभी जानकारियां, दस्तावेज तथा अन्य सहायता समिति को प्रदान करेगा। जिसकी समिति मांग करे।

समिति अपनी सिफारिशें प्रतिवेदन के रूप में यथाशीघ्र विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी।

....

Dubey
(दीपक दुबे)
सूचना अधिकारी